न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या–98/2022 धारा 144 द0प्र0सं0

रविन्द्र राय वगै0..प्रथम पक्ष

बनाम्

सरयु सिंह वगै0..द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक 20.10.22 अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के रविन्द्र राय वगै0 बनाम द्वितीय पक्ष के सरयु सिंह वगै0 को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ हीं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा–परसबनी, थाना–बिरनी, जिला–गिरिडीह अंतर्गत, खाता सं0–03, प्लॉट नं0–09, रकवा–51 डी0, चौहद्दीः उ0–परती कदीम, द0–परती कदीम, पू0–मोटा आर, प0–परती कदीम एवं अन्य 81 प्लॉट।

उभय पक्ष उपस्थित।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, अंचल अधिकारी, बिरनी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक–हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.01.13 13:49:17 +05:30
Location: 192.168.1.3

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।